भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1736
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि

†1736. श्री दिलेश्वर कामैत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे वहनीय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार घरेलू सिलेंडरों को माल और सेवा कर के दायरे से बाहर रखने और मूल्य नियंत्रण हेतु एक विनियामक तंत्र/निकाय बनाने के लिए तैयार है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और(ख) भारत घरेलू एलपीजी की खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। सरकार उपभोक्ता हेतु घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य को लगातार घटाती-बढ़ाती रहती है। हालांकि औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 64 प्रतिशत (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से नवंबर 2024 में यूएस अमेरीकी डॉलर 632 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई है, तथापि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 44 प्रतिशत (अगस्त 2023 में 903 रुपए से नवम्बर, 2024 में 503 रुपए तक) तक कमी हुई थी।

वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य दिल्ली में 803 रुपए है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) की प्रभावी लागत पर 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध करवा रही है। यह पूरे देश में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध हैं।

वर्तमान में घरेलू एलपीजी पर जीएसटी की दर 5 % है जो कि जीएसटी स्लैब में से एक न्यूनतम स्लैब है।

****